(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1292-PBR/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 59/2015–16/अपील.

1–कामता प्रसाद यादव आत्मज श्री नंदकिशोर यादव

2–मनोहर यादव आत्मज श्री नंदकिशोर यादव

3–अमरीष यादव आत्मज श्री कैलाश यादव

4–सुभाष यादव आत्मज श्री कैलाश यादव

निवासी ग्राम मरोडा, तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

5–श्रीमती रेखाबाई पत्नि श्री संतोष यादव पुत्री श्री कैलाश यादव

निवासी गाम सहेली तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

6–श्रीमती बरखाबाई पत्नि श्री सुनील यादव पुत्री श्री कैलाश यादव

निवासी ग्राम रतनपुर तहसील बुदनी जिला सीहोर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्री रविशंकर यादव आत्मज श्री रामचरण यादव

2–श्री राजाराम यादव आत्मज श्री रामचरण यादव

3–श्री मधुबन यादव आत्मज श्री रामचरण यादव

4–श्री अवधनारायण यादव आत्मज श्री रामचरण यादव

निवासी गण ग्राम खारदा तहसील सिवनी मालवा

जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0पी0यादव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अनुराग दुबे, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुआखेड़ी स्थित भूमि 74/1, 87/3, 99/2, 99/3, 101/1, 145/12, 146/3, 157/2, 160/1, 165/3, 168/2, 185/4, एवं 198/1 कुल रकबा 20,86 एकड़ भूमि में 1/2 हिस्सा यानि आधी भूमि व्यवहार वाद कमांक 155–अ/2009 में पारित निर्णय दिनांक 19–5–2009 से प्राप्त हुई है जिस पर वह काबिज है अतः 1/2 हिस्सा आवेदकगण का बटवारा कर दिया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 11–6–14 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–10–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क उठाये गये हैं :–

(1) जिस व्यवहारवाद कमांक 155–अ/2009 के आधार पर तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है वह मौजा खारदा की भूमि से संबंधित था और ग्राम सुआखेडी की भूमि से उसका कोई सरोकार नहीं था ऐसी स्थिति में राजीनामा डिक्री के आधार पर बटवारा किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा नामा अभिलेख पर विद्यमान नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा हुआ है ।

(3) बटवारानामा पंजीकृत होना अनिवार्य है इस तथ्य की अनदेखी कर अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) व्यवहार न्यायालय सिवनी मालवा को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है ।

(5) आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि सुषमाबाई की ओर से अभिभाषक पैरवी कर रहा था इसलिये व्यवहार न्यायालय की डिक्री सुषमाबाई पर बन्धनकारी है ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण अथवा सुषमाबाई द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और ना ही उसके संबंध में सुषमाबाई द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अन्तर्गत शपथपत्र प्रस्तुत कर बटवारे को स्वीकार किया गया है ।

(3) व्यवहार न्यायालय में सुषमाबाई का नाम व्यवहार वाद के सातवें कमांक पर दर्ज किया गया है और उनके अभिभाषक उपस्थित हुये है ।

(4) व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत समझौतानामा में ग्राम खारदा ग्राम खेडीअहीर एवं ग्राम सुआखेडी का स्पष्ट उल्लेख है । ग्राम खेडीअहीर की भूमि का राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किया जा चुका है केवल ग्राम सुआखेडी की भूमि का राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किया जाना है ।

(5) व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों सहित पक्षकारों पर बन्धनकारक है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अपील एवं निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर बंटवारा कार्यवाही की है, जबकि सिविल न्यायालय की डिक्री स्पष्ट रूप से जो कि समझौता डिक्री है वह अनावेदक पक्ष के हिस्से के संबंध में है । सिविल न्यायायल की उक्त डिक्री में प्रथमदृष्टया आवेदक के हित प्रभावित नहीं होते हैं । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को सभी पक्षों को सुनकर पुनः बंटवारा कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2015 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–6–2014 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को सभी पक्षों को सुनकर पुनः बंटवारा कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.